ई– नीलामी प्रपत्र में प्रथम संशोधन

क्रमांक :– का.सं./रेत/2015/56 **भोपाल, दिनांक – 29.04.2015**

कंडिका 1.5

कार्य योजना/ माईनिंग प्लान का पुनरीक्षणः

खदानों के विभिन्न समूह से प्रथम वर्ष में रेत उठाव हेतु निर्धारित मात्रा परिशिष्ट–1 में दर्शित है। यह मात्रा अनुमोदित अथवा प्रस्तावित माईनिंग प्लान की मात्रा है। वर्तमान में निगम की दर रू0 125/– प्रति घनमीटर है (रायल्टी रू0 100/– प्रति घन मीटर तथा निगम का संचालन व्यय रू0 25/– प्रति घन मीटर)। उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा ऑफर किये गये मूल्य की एक वर्ष की माह–वार कार्य योजना इसी के आधार पर निगम व्दारा निर्धारित की जावेगी तथा उक्त आधार पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से एक वर्ष की रेत उठाव एवं बिक्री की कार्य योजना परिशिष्ट–4 अनुसार रहेगी। बोलीकर्ता के आवेदन पर प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार कार्य योजना पुनरीक्षित करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा, किंतु बोलीकर्ता के आवेदन को मान्य करना निगम के लिए बंधनकारी नहीं होगा। यदि कार्य योजना में दर्शित वार्षिक मात्रा से कम मात्रा का उठाव एवं बिक्री किसी वर्ष में की जाती है तब भी सम्पूर्ण वार्षिक ठेका धन जमा करना होगा ~~एवं तत्पश्चात् इस कम मात्रा जो कि 20% सीमा से अधिक नहीं होगी, को आगामी वर्ष में उठाये जाने की अनुमति होगी (माईनिंग प्लान में अनुमत सीमा की मात्रा तक) तथा आवश्यकतानुसार माइनिंग प्लान का पुनरीक्षण निगम की अनुमति प्राप्त कर बोलीकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि पुनरीक्षित पर्यावरण की अनुमति आवश्यक होगी तब उसे प्राप्त करनें का दायित्व संबंधित बोलीकर्ता का होगा।~~ ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना में दर्शित मात्रा के अनुरूप खनन कार्य करेगा । अनुमोदित खनन योजना का यदि पुनरीक्षण किया जाता है तो वार्षिक ठेका धन अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित हो सकेगा । खनन योजना पुनरीक्षित होने की स्थिति में आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जानी होगी। यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में दर्शित वार्षिक खनन योग्य मात्रा से 20 प्रतिशत कम तक हो तो इस मात्रा की अनुमति आगामी वर्ष में दी जा सकेगी । परन्तु उस वर्ष हेतु उतनी मात्रा के निर्धारित ठेकाधन के अंतर की राशि जमा किया जाना होगा । सम्पूर्ण ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में दर्शित मात्रा अनिवार्यतः खनन की जानी होगी अन्यथा जमा सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी। ~~किसी भी वर्ष के माईनिंग प्लान में पुनरीक्षण, सक्षम अधिकारी की पुर्वानुमति से या किसी अन्य वैध एवं अनुमत (Legal & Permitted) कारण से यदि बोलीकर्ता द्वारा परिशिष्ट –1 में दर्शित मात्रा से अधिक मात्रा उठाव एवं बिक्री की जाती है तो उस वर्ष के देय मूल्य में आनुपातिक वृद्धि देय होगी।~~ किसी भी वर्ष के माईनिंग प्लान में पुनरीक्षण, किसी वैध एवं अनुमत (Legal & Permitted) कारण से तथा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा। यदि बोलीकर्ता द्वारा परिशिष्ट –1 में दर्शित मात्रा से परिवर्तित मात्रा का उठाव एवं बिक्री की जाती है तो उस वर्ष के देय मूल्य में निम्न सूत्र के अनुसार अनुपातिक परिवर्तन किया जा सकेगा :–

$$I = \frac{ExO}{A}$$

I= संम्बंधित वर्ष के देय मूल्य में वृद्धि/*कमी*

E= परिशिष्ट–1 से अधिक/कम उठाई की गई मात्रा

O=सम्बंधित वर्ष का देय मूल्य (वैट छोड़कर)

A= परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा।

वैट अलग से देय होगा

कंडिका 1.8

अनुबंध का निष्पादनः–

~~चयनित बोलीकर्ता निगम के साथ निर्धारित प्रारूप में आशय पत्र (LOI) जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुबंध निष्पादन के समय सफल बोलीदार को स्वीकृत नीलामी राशि की 25% राशि बैंक ड्राफ्ट NEFT/RTGS द्वारा सुरक्षा राशि के रूप में निगम में जमा करनी होगी। बोलीदार द्वारा बोली में भाग लेने हेतु जमा अमानत राशि का समायोजन सुरक्षा राशि में किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में अनुबंध निष्पादन की समयावधि बढ़ाने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध निष्पादित करने में असफल होने पर उसकी अमानत राशि निगम द्वारा जप्त कर ली जाएगी। बोलीकर्ता द्वारा 15 दिवस के अंदर ठेका अनुबंध पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन निष्पादित कराया जाकर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर रजिट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अंतर्गत अनुबंध दस्तावेजों का पंजीयन भी स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा।~~

सफल बोली लगाने वाला ठेके के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अनुमोदित खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत करेगा और निर्दिष्ट ठेके का करार/अनुबंध निष्पादित करेगा । यदि खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति उपरोक्त कालावधि में प्रस्तुत नही की जाती है, तो प्रबंध संचालक द्वारा ऐसे कारण जो अभिलिखित किये जा सकें, के आधार पर आगामी तीन माह की समयवृद्धि इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु दी जा सकेगी । इस समय अवधि करार/अनुबंध में अनुबंध का निष्पादन किया जा सकेगा । निर्धारित अवधि में यदि इन औपचारिकताओं को सफल बोलीदार पूर्ण करने में असफल रहता है तब, उसके द्वारा जमा सुरक्षा राशि में से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती उपरांत शेष राशि वापसी योग्य होगी । ऐसी स्थिति में नीलाम किये गये समूह की बोली निरस्त करते हुए इसकी पुनः नीलामी की जायेगी । कब्जा प्रदान करने में हुए विलम्ब के कारण अधिकतम छः माह की अवधि का ठेकाधन अनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा । बोलीकर्ता द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित कराया जाकर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत अनुबंध दस्तावेज का पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा।

कंडिका 1.11 (vi)

यदि बोलीकर्ता ~~द्वारा~~ ने पूरी अनुबंध अवधि में रेत की निर्धारित मात्रा का उठाव ~~समय सीमा में~~ नहीं किया है अथवा प्रचलित अधिनियम/नियमों का उल्लंघन किया है।

कंडिका 2.2

सुरक्षा राशि :–

~~सफलतम बोलीकर्ता ठेके के प्रथम वर्ष के कुल ठेका मूल्य का 25% सुरक्षा राशि अनुबंध निष्पादन के पूर्व निगम में जमा करेगा। बोली में भाग लेने हेतु बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि देय सुरक्षा राशि में समायोजित की जाएगी । सुरक्षा जमा की राशि ठेके की पूरी अवधि में निगम के पास जमा रहेगी एवं उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। ठेका सफलतापूर्वक सम्पादित करने पर एवं बोलीकर्ता से कोई वसूली योग्य राशि शेष न होने पर संपूर्ण सुरक्षा राशि बोलीकर्ता को यथाशीघ्र ठेका समाप्ति के एक माह के अंदर वापस कर दी जाएगी अथवा कोई राशि वसूली योग्य होने पर संपूर्ण या आंशिक सुरक्षा राशि जप्त की जा सकेगी।~~ सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत वार्षिक ठेकाधन की 25 प्रतिशत राशि, सुरक्षा राशि के रूप में ई–पेमेन्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अनुबंध में अधिकथित किये गये निबंधनों तथा शर्तों के अनुपालन में आशय पत्र (LOI) जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की कालावधि के भीतर जमा करना होगा । सफल बोली लगाने वाले द्वारा निक्षेपित 10 प्रतिशत अमानत राशि देय 25 प्रतिशत राशि के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी । यह सुरक्षा राशि ठेके की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् केवल तभी वापसी योग्य होगी, जब निगम के प्रबंध संचालक का यह समाधान हो जाये कि ठेकेदार द्वारा समस्त नियमों और/या अनंबंध की शर्तों का समाधानप्रद रूप से पालन किया है ।

बोली लगाने वाले के द्वारा, जिसके कि पक्ष में बोली समाप्त हुई है, बोली के पश्चात् 15 दिवस की कालावधि के भीतर सुरक्षा राशि जमा करने में असफल रहने की दशा में, उसके द्वारा निक्षेपित अमानत राशि समपहृत हो जायेगी तथा खदानों की पुनः नीलामी की जायेगी । प्रत्येक वर्ष के ~~ठेके~~ ठेका मूल्य में पिछले वर्ष के ~~ठेके~~ ठेका मूल्य पर 5% वृद्धि होने के कारण, मूल्य वृद्धि की 25% राशि ई–पेमेंट/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा निधि वर्ष का ठेका प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित उपकार्यालय में जमा करानी होगी।

कंडिका 2.11

स्वीकृत ठेका क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्र में अवैध खनन को रोकना :–

उठाई जाने वाली रेत की चौकीदारी तथा सुरक्षा की व्यवस्था बोलीकर्ता स्वयं करेगा तथा रेत उठाव एवं बिक्री संबंधी समस्त नियमों का पालन करना होगा । यदि बोलीकर्ता को स्वीकृत ठेका क्षेत्र से अवैध उत्खनन पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जबावदारी बोलीकर्ता की होगी । बोलीकर्ता के स्वीकृत ठेका क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में यदि अवैध उत्खनन होता है तो उसकी लिखित सूचना बोलीकर्ता व्दारा निगम एवं जिला प्रशासन को दी जाना अनिवार्य है। ~~बोलीकर्ता द्वारा अपने खर्च से रेत निकासी मार्ग पर–24x7 स्वचालित वीडियों कैमरे लगाये जावेंगे तथा प्रत्येक माह मासिक लेखा के साथ पूरे माह का वीडियो रिकार्ड निगम को उपलब्ध कसाना होगा।~~

कंडिका 2.20

ग्रामीणजन/ ग्राम पंचायतों को रेत का निःशुल्क प्रदायः–

ग्रामीण जनों को स्वयं के निर्माण कार्य में अथवा ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यो के प्रयोजन हेतु ठेका क्षेत्र से सरपंच एवं ग्राम सचिव द्वारा वास्तविक आवश्यकता के प्रमाणीकरण पश्चात तहसीलदार/नायब तहसीलदार के आदेश से ठेकेदार द्वारा रायल्टी मुक्त अभिवहन पास के माध्यम से रेत खनिज ले जाने की अनुमति प्राप्त करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु रायल्टी मुक्त अभिवहन पास उस मात्रा में जारी किये जावेगें जिसे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाये। ~~रेत खनिज की उपलब्धता निकटस्थ संचालित खदान क्षेत्र से निशुल्क की जायेगी। इस प्रकार की आवश्यकता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा जिसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार द्वारा दी जावेगी। ऐसी मात्रा निशुल्क निकालने की सहमति देना बोलीकर्ता के लिए बंधनकारी होगा।~~

कंडिका 2.21 (iv)

आवश्यक होने पर माईनिंग प्लान एवं पर्यावरण अनुमति पुनरीक्षित कराने/नवीनीकरण स्वयं के व्यय पर कराने की जवाबदारी बोलीकर्ता की होगी। निगम के संबंधित उपकार्यालय के प्रभारी अधिकारी इस प्रक्रिया को बोलीकर्ता के माध्यम से पूर्ण कराने हेतु अधिकृत होंगे जिसके लिए उन्हें प्रबंध संचालक से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार यदि किसी प्रकरण में माईनिंग प्लान की अनुमोदित मात्रा को SEIAA/ MOEF/ Pollution Control Board द्वारा कम या अधिक किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में, निगम के प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरांत, तदानुसार ठेका मात्रा पुनरीक्षित की जायेगी तथा ठेके की राशि ई–नीलामी में सफल बोलीकर्ता द्वारा किये गये ऑफर के अनुपात में कम या अधिक हो जायेगी।

अनुबंध प्रारुप की कंडिका 8

~~बोलीकर्ता द्वारा आशय पत्र (LOI) जारी होने की दिनांक के 15 दिवस के अंदर ठेका अनुबंध पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्यधीन निष्पादित कसाया जाकर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर अनुबंध दस्तावेजों का पंजीयन भी स्वयं के व्यय पर कसाया जाएगा।~~ बोलीकर्ता द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित कराया जाकर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत अनुबंध दस्तावेज का पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा।